ऐतिहासिक फैसले से कैंसर के मरीज़ों को बड़ी राहत

उच्चतम न्यायालय ने स्विट्जरलैंड की विशाल दवा निर्माता कंपनी नोवार्टिस द्वारा ब्लड़-कैंसर की दवा ग्लिवेक को पेटेंट कराने की कोशिशों संबंधी याचिका नामंजूर कर दी है। इस फैसले के बाद अब विदेशी दवा कंपनियों को भारतीय बाजार में स्थानीय सौदों को तरजीह देनी होगी और अत्यधिक मंहगी दवाओं की कीमतों में कमी लानी होगी। इसके साथ ही कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन को स्विट्जरलैंड की दवा निर्माता कंपनी नोवार्टिस के खिलाफ पिछले सात वर्षों से जारी संघर्ष में कामयाबी मिल गई है।

ग्लिवेक के पेटेंट को नामंजूर करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यह भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3 (घ) के तहत "वृद्धि संबंधी नवाचार" का उदाहरण है इसलिए पेटेंट के तहत इसे सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। न्यायालय ने कहा कि पेटेंट अधिनियम के तहत दवा के "प्रभावकारिता के संदर्भ में" श्रेष्ठता संबंधी आवश्यक शोध आंकड़ों को स्पष्ट करने में कंपनी विफल रही है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत "किसी ज्ञात पदार्थ के नए रूप की खोज मात्र, जिससे कि उस पदार्थ की गुणवत्ता में कोई वृद्धि न हो" तो यह खोज पेटेंट के मकसद को सिद्ध नहीं करती। दवा की "घुलनशीलता" में बेहतरी संबंधी दलील को भी पीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे पिछली दवाओं की तुलना में इस दवा की अधिक प्रभावकारिता स्थापित नहीं होती।

इस फैसले से नोवार्टिस द्वारा इस दवा के पेटेंट कराने की कोशिश को विराम लग गया है और देश में ब्लड कैंसर की दवाओं की कीमत पहले की तरह कम दाम पर उपलब्ध होती रहेगी। यदि यह फैसला नोवार्टिस के हक में जाता तो मरीजों को एक महीने की दवा के लिए एक लाख 20 हजार रूपए तक खर्च करने पड़ते जबकि ग्लिवेक दवा के जेनरिक संस्करण की कीमत प्रति माह 8,000 रुपए पड़ती है।

इस निर्णय का आशय यह भी है कि भारत विकासशील देशों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती दवाओं की आपूर्ति करना जारी रखेगा। दवा के क्षेत्र में भारत दुनिया में तेजी से बढ़ते बाजारों में एक है। भारत के दवा उद्योग द्वारा निर्मित लगभग 40 प्रतिशत दवाओं का निर्यात किया जाता है। इनमें से अधिकांश कम कीमत की जेनरिक दवाएं होती हैं।

भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव श्री नरेन्द्र सैनी ने यह कहते हुए निर्णय का स्वागत किया कि दवा के घटक में केवल मामूली फेरबदल की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल सही है और ऐसे में पेटेंट के लिए कंपनी का दावा ठीक नहीं है।

लोकप्रिय कैंसर दवा के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले श्री ब्रैन डकर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मरीजो को लाभ मिलेगा। ऑरेगन हेल्थ एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी के नाइट कैंसर इस्टीट्यूट के निदेशक श्री ब्रैन डकर ने उस अणु की खोज की थी जिससे 1990 के दौर में कैंसर के इलाज में कारगर दवा ग्लिवेक को तैयार किया जा सका।